नईदुनिया

कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 मंत्रियों ने ली शपथ

शिवकुमार सरकार में 20 मंत्रियों को मिली जगह, 12 नए चेहरों को पहली बार अवसर

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरुः कर्नाटक में मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल का सोमवार को विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोकभवन में आयोजित समारोह में 15 विधायकों को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेतृत्व ने कुल 20 मंत्रियों के नामों को मंजूरी दी है, जिनमें 12 नए चेहरे पहली बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं, जबकि आठ मौजूदा मंत्रियों को भी स्थान दिया गया है। शपथ लेने वालों में एच.सी. बालकृष्ण, के.एस. बसवंतप्पा, बसवराज रायरेड्डी, एन. चालुवरयास्वामी, पी.एम. नरेंद्रस्वामी, सी. पुत्तुरंगाशेट्टी, टी. रघुमूर्ति, रिजवान अरशद, लक्ष्मण सावदी, मधु बंगारप्पा, एस.एस. मल्लिकार्जुन, बी. नागेंद्र, विजयानंद कशप्पनवर और बी.जेड. जमीर अहमद खान शामिल हैं। गायत्री शांतिगौड़ा मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र महिला मंत्री होंगी।

कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा और विधान परिषद के प्रमुख संवैधानिक पदों के लिए भी नामों को स्वीकृति दी है। इसके तहत जी.एस. पाटिल को विधानसभा अध्यक्ष, ए.एस. पोन्नन्ना को उपाध्यक्ष, सलीम अहमद को विधान परिषद का सभापति और उमाश्री को उपसभापति बनाए जाने को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर चर्चा की थी। पार्टी नेताओं के अनुसार, बड़ी संख्या में योग्य विधायकों के बीच सीमित मंत्री पदों के लिए चयन करना चुनौतीपूर्ण रहा।

कर्नाटक में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में मौजूदा विस्तार के बाद भी मंत्रिमंडल में कुछ पद रिक्त रहेंगे। राज्य की सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वोक्कालिगा, लिंगायत और कुरबा समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में पुल टूटा, उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश के विभिन्न राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन, छत्तीसगढ़ में पुल टूटने, उत्तर प्रदेश में बाढ़ और राजस्थान में मकान की छत गिरने जैसी घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद हो गया है।

इससे यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

छत्तीसगढ़ में लगातार वर्षा के कारण बिलासपुर-रतनपुर-पेंड्रा मार्ग पर एक पुल दो हिस्सों में टूट गया। घटना के दौरान पुल से गुजर रही एक यात्री बस बीच में ही फंस गई। हालांकि तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया और स्थिति पर प्रशासन निगरानी रखे हुए है।

उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। गंगा, घाघरा, शारदा सहित 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर जिले में गंगा का पानी छह गांवों में प्रवेश कर गया है, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया और लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है।

राजस्थान के जोधपुर में लगातार बारिश के बीच नागोरी सिलावटों क्षेत्र में एक मकान की छत गिर गई। हादसे में आठ वर्षीय अलसिफा की मौत हो गई, जबकि उसके पिता और दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए विभिन्न राज्यों में प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।

मौसम विज्ञानः 150 वर्षों का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बनने की आशंका

प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ रही ऊष्मा, रिकॉर्ड गर्मी की आशंका

यारेन/जिनेवा, एजेंसीः वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष विकसित हो रहा अल नीनो पिछले लगभग 150 वर्षों का सबसे शक्तिशाली अल नीनो बन सकता है। यदि मौजूदा अनुमान सही साबित होते हैं तो वैश्विक तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि, भीषण गर्मी और दुनिया के कई हिस्सों में चरम मौसम की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के अनुसार, प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति तेजी से मजबूत हो रही है। जून से अगस्त के दौरान इसके विकसित होने की संभावना 80 प्रतिशत और वर्ष के शेष महीनों में इसके बने रहने की संभावना 90 प्रतिशत के आसपास आंकी गई है। अधिकांश जलवायु मॉडल इसके कम से कम मजबूत और संभवतः अत्यधिक शक्तिशाली स्वरूप में पहुंचने का संकेत दे रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से काफी अधिक हो जाता है। इससे वातावरण में अतिरिक्त ऊष्मा और नमी पहुंचती है, जिसके परिणामस्वरूप हीटवेव, सूखा, अत्यधिक वर्षा और अन्य चरम मौसम की घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। यदि यह अल नीनो अनुमान के अनुरूप और अधिक मजबूत होता है, तो वर्ष 2027 वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष बन सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अल नीनो का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रूप में दिखाई देता है। कुछ देशों में सामान्य से कम वर्षा और सूखे की स्थिति बन सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। भारत सहित कई देशों में मानसून पर भी इसका असर पड़ने की आशंका जताई गई है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने सरकारों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों से समय रहते तैयारी करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि समय रहते पूर्वानुमान आधारित योजना और सतर्कता से चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

मानसून का बदला मिजाज, बारिश का वितरण बना चिंता का विषय

कहीं भारी बारिश तो कहीं पानी की कमी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश में मानसून ने जुलाई के दौरान गति जरूर पकड़ी, लेकिन वर्षा का वितरण अब भी असमान बना हुआ है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कई क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कई राज्यों में अब भी बारिश की कमी बनी हुई है। इस असंतुलन ने कृषि, जल संसाधनों और मौसम की स्थिति को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, दो अगस्त तक देश में औसत वर्षा सामान्य से लगभग 12 प्रतिशत कम रही। हालांकि जुलाई में कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने से वर्षा घाटे में कुछ कमी आई है, लेकिन पूरे देश में इसका लाभ समान रूप से नहीं पहुंचा। मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जिससे जलाशयों के जलस्तर में सुधार और खरीफ फसलों को लाभ मिलने की संभावना बढ़ी है। इसके विपरीत उत्तर-पश्चिम, पूर्वी और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रहने के कारण किसानों की चिंता बनी हुई है। कई स्थानों पर सिंचाई के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भरता बढ़ गई है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के बावजूद वर्षा का असमान वितरण जलवायु परिवर्तन और बदलते मौसम चक्र का संकेत माना जा रहा है। यदि आने वाले दिनों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश नहीं हुई, तो कृषि उत्पादन और जल उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हो रही है वहां बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है, जबकि कम वर्षा वाले इलाकों में सूखे जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका बनी रहेगी। ऐसे में मौसम की बदलती स्थिति पर लगातार निगरानी और स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारी की जरूरत बताई गई है। प्रशासन और कृषि विभाग भी वर्षा की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार राहत और सहायता संबंधी कदम उठाए जा सकें।

पांच वर्ष बाद सार्वजनिक रूप से नजर आईं आंग सान सू ची

यांगून, एजेंसीः म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची करीब पांच वर्ष बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने सोमवार को उनकी कुछ तस्वीरें जारी कीं, जिनमें वह इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (आईसीआरसी) के म्यांमार प्रतिनिधि अर्नो डे बैक से मुलाकात करती दिखाई दे रही हैं।

वर्ष 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से यह आंग सान सू ची का बाहरी दुनिया के साथ सबसे दुर्लभ सार्वजनिक संपर्क माना जा रहा है। सैन्य सरकार ने बताया कि यह मुलाकात सोमवार सुबह हुई, हालांकि बैठक का स्थान और चर्चा के विषयों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। जारी तस्वीरों में आंग सान सू ची अपने 81वें जन्मदिन का केक काटती हुई भी दिखाई दे रही हैं।

100 रुपये उधार लेने के बाद दुकानदार को ही गोली मारी

नईदुनिया ब्यूरो, मोहालीः पंजाब के मोहाली जिले में पूर्व सरपंच के पति पर गोली चलाने के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी सेवानिवृत्त सैनिक महिंदर सिंह उर्फ मिंदा ने वारदात से पहले पीड़ित रजनीश कुमार से शराब पीने के लिए 100 रुपये उधार लिए थे। इसी दौरान उसने कथित तौर पर कहा था कि वह किसी को गोली मारना चाहता है। रजनीश कुमार ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद आरोपी वापस लौटा और दुकान के बाहर बैठे रजनीश पर फायरिंग कर दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय बाजार में काफी भीड़ थी और आसपास बच्चे भी मौजूद थे। आरोपी ने तीन गोलियां चलाईं। इनमें एक गोली रजनीश कुमार के पेट में लगी, दूसरी दीवार से टकराई, जबकि तीसरी हवाई फायर बताई गई। मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी से राइफल छीन ली, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घायल रजनीश कुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। पुलिस के अनुसार, उनकी हालत गंभीर होने के कारण अभी तक उनका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के भाई की शिकायत पर महिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) तथा आयुध अधिनियम की धाराओं 25, 27, 54 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और फायरिंग के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। आरोपी सेवानिवृत्त सैनिक है और उसका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है।

पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार को निर्देश, पैदल पथ को वाहन लेन से स्पष्ट रूप से अलग और अतिक्रमण मुक्त रखा जाए

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि देश की प्रत्येक सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित, स्पष्ट रूप से चिह्नित और अतिक्रमण मुक्त स्थान सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने कहा कि सड़कों की योजना और प्रबंधन में पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी भय के सुरक्षित आवागमन कर सकें।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जहां भी सड़क हो, वहां पैदल यात्रियों के लिए अलग स्थान होना आवश्यक है। इस स्थान को मोटर वाहनों की लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए, ताकि पैदल चलने वालों और वाहनों के आवागमन के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। अदालत ने यह भी कहा कि पैदल पथ को अलग करने के लिए आवश्यकतानुसार रस्सी, बैरियर अथवा अन्य उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जा सकता है। उद्देश्य यह होना चाहिए कि पैदल यात्रियों को यह भरोसा रहे कि निर्धारित स्थान केवल उनके उपयोग के लिए है और वहां चलते समय उन्हें किसी चलती गाड़ी से खतरा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए स्थान पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो। अदालत ने संकेत दिया कि यदि पैदल पथ पर अतिक्रमण या वाहन खड़े रहने जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो पैदल यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है और सड़क सुरक्षा के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते।

अदालत ने कहा कि सुरक्षित पैदल मार्ग केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और उनके स्वतंत्र आवागमन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए सड़कों के निर्माण, रखरखाव और यातायात प्रबंधन के दौरान पैदल यात्रियों की आवश्यकताओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को सड़क सुरक्षा और शहरी अवसंरचना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ईरान पर फिर कार्रवाई कर सकते हैं: ट्रम्प

सैन्य विकल्प बरकरार, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान को बताया प्राथमिकता

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता बातचीत के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने की है। उन्होंने कहा कि यदि समझौता हो जाता है तो अनेक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के पास कार्रवाई करने की पूरी क्षमता है, लेकिन वह लोगों की जान नहीं लेना चाहते। उनका कहना था कि कूटनीतिक समाधान सभी पक्षों के हित में होगा और इससे क्षेत्र में तनाव कम करने में मदद मिलेगी।

ट्रम्प ने बताया कि सोमवार से अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के जरिए वार्ता फिर शुरू होगी। इस दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि उन्होंने वार्ता के स्थान या इसमें शामिल होने वाले मध्यस्थों और प्रतिनिधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि वार्ता की प्रक्रिया आगे बढ़ने से क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों को नई दिशा मिल सकती है। दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी बातचीत पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी नजर रहेगी।

मिस्र के तट के पास आया भूकंप इजराइल तक महसूस हुए झटके

काहिरा, एजेंसीः मिस्र के तट के निकट सोमवार तड़के मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके काहिरा सहित उत्तरी मिस्र के कई इलाकों और दक्षिणी इजराइल तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए।

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 दर्ज की गई। संस्था ने बताया कि इसका केंद्र धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था।

वहीं, मिस्र के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स ने भूकंप की तीव्रता 5.6 बताई। संस्थान के अनुसार, भूकंप का केंद्र स्वेज शहर से लगभग 38 किलोमीटर उत्तर में था। विशेषज्ञों के मुताबिक, विभिन्न एजेंसियों द्वारा तीव्रता में मामूली अंतर अलग-अलग मापन प्रणालियों और विश्लेषण पद्धतियों के कारण होता है। भूकंप के झटके महसूस होते ही कई स्थानों पर लोग एहतियातन खुले स्थानों की ओर चले गए। बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि संबंधित एजेंसियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भूकंप के बाद मिस्र रेड क्रिसेंट ने प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना लागू कर दी।

न्यायालय *सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केवल अनुमान के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता...*

नंबर प्लेट छिपाना धोखाधड़ी नहीं, एमवी एक्ट का उल्लंघन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वाहन की नंबर प्लेट छिपाना अपने आप में धोखाधड़ी का अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि यह मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो सकता है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं बनाया जा सकता।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 28 जुलाई को सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर यह मान लेना उचित नहीं है कि किसी व्यक्ति ने चालान से बचने के उद्देश्य से नंबर प्लेट छिपाई थी। ऐसा निष्कर्ष केवल पुलिस का अनुमान हो सकता है और अनुमान के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

मामला तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल अहद शाकेर से जुड़ा था। 5 जून 2020 को वह अपनी एक्टिवा चला रहे थे, जिसकी पिछली नंबर प्लेट पर काला मास्क लगा हुआ था। गश्त पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर मोटर व्हीकल एक्ट के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस का आरोप था कि नंबर प्लेट ढककर चालक चालान से बचने के लिए पुलिस को धोखा देना चाहता था।

याचिकाकर्ता ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने पाया कि वाहन की केवल पिछली नंबर प्लेट ढकी हुई थी, जबकि सामने की नंबर प्लेट पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से यह साबित नहीं होता कि पहचान छिपाने की कोई सुनियोजित कोशिश की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी का अपराध सिद्ध करने के लिए बेईमानी की नीयत, किसी व्यक्ति को छलपूर्वक प्रेरित करना तथा उससे संपत्ति या वैधानिक अधिकार का नुकसान होना आवश्यक है। इस मामले में ऐसे आवश्यक तत्व मौजूद नहीं थे। इसलिए धारा 420 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नंबर प्लेट ढकना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय हो सकता है और संबंधित प्रावधानों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसे स्वतः आपराधिक धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता।